O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 11395
Date 31 JAN 2024
Addl.CE
SE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी.आई.एन :– U40108CT2003SGC015820
कार्यालय :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.कं./22/2023/ 203 रायपुर, दिनांक 10/01/2024

(अपील प्र.कं. 22/2023)

श्री एच.आर.नेताम अपीलार्थी
अभनपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 10/01/2024 को पारित)

अपीलार्थी श्री एच.आर.नेताम ने यह अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)– दो, के निर्णय दिनांक 25.09.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे'' अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी :–	(अ) छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनी में दिनांक 03.05.2023 की तिथि में सहायक अभियंता (वित. एवं पारे.) की कुल स्वीकृत पदों की संख्या वर्गवार एवं कुल रिक्त पदों की संख्या वर्गवार। (ब) छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनी में दिनांक 03.05.2023 की तिथि में सहायक अभियंता (वित. एवं पारे.) की कुल भरे गये पदों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या एवं प्रतिशतवार जानकारी।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	जनसूचना अधिकारी द्वारा दिग्भ्रमित एवं त्रृटिपूर्ण जानकारी लिखकर जानकारी देने से इंकार किया जा रहा है। मांगी गई जानकारी छ.ग. के SC/ST वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांगी गई थी। अतः सम्पूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान करने की कृपा करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		08.11.2023	निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतएव अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		13.12.2023	जनसूचना अधिकारी सह DPIO एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। अपील में तर्क/कथन ग्रहण उपरांत सुनवाई सम्पन्न हुई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		अपीलार्थी को चाही गई बिन्दुवार जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 4918 दिनांक 25.09.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका कमांक 9778/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 में छ.ग. शासन की अधिसूचना

			क्रमांक 682 दिनांक 22.10.2019 एवं जिसे पॉवर कंपनी द्वारा आदेश दिनांक 31.10.2019 से ग्राहय किया गया है, में छ.ग. सिविल सेवा (पदोन्नति नियम) 2003 के नियम 05 पदोन्नति में आरक्षण पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है। अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु स्वीकृत पदों और उसके विरूद्ध कार्यरत अधिकारियों एवं रिक्त पदों की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
(V)	अपीलार्थी का अपील तर्क :–		जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी संतोषबद्ध नहीं है। अतः उन्हे दिनांक 03.05.2023 की तिथि में **AE (T&D)** की कुल स्वीकृत पदों की संख्या वर्गवार एवं कुल भरे गये पदों में से **ST** एवं **SC** के अधिकारियों की संख्या एवं प्रतिशतवार जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
(VI)	जन सूचना अधिकारी का अपील तर्क/कथन :–		आवेदक द्वारा दिनांक 03.05.2023 की तिथि में **AE (T&D)** की कुल स्वीकृत पदों की संख्या वर्गवार एवं कुल रिक्त पदों की संख्या वर्गवार तथा कुल भरे गये पदों में से **ST** एवं **SC** के अधिकारियों की संख्या एवं प्रतिशतवार जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्संबंध में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका क्रं. 9778/2019 में पारित आदेशानुसार, छ.ग. सिविल सेवा (पदोन्नति नियम) 2003 के नियम 05 पदोन्नति में आरक्षण पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है। अतः अपीलार्थी द्वारा जिस स्वरूप में जानकारी चाही गई है वर्तमान में इस कार्यालय में संधारित नहीं है। अतएव जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी को उनके शंका के समाधान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका क्रं. 9778/2019 में पारित स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में पॉवर कंपनी में पदोन्नति हेतु प्रचलित नियम आदेश क्रमांक 01–05/पीडी–दो/215 दिनांक 19.03.2021 की प्रति उपलब्ध करायी जा सकती है।

(3) – प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयांतर्गत जो कार्यवाही की गई है वह तर्कसंगत है।

तालिका (I) में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.05.2023 की तिथि में **AE (T&D)** की कुल स्वीकृत पदों की संख्या वर्गवार एवं कुल रिक्त पदों की संख्या तथा उक्त कुल भरे गये पदों में से **ST** एवं **SC** के अधिकारियों की संख्या एवं प्रतिशतवार जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(5) के पालनार्थ अपीलार्थी को जो सूचना उपलब्ध करायी गई है, वह न्यायसंगत है।

अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि प्रश्नाधीन जानकारी जो छ.ग. के ST/SC वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांगी गई थी जिसे जनसूचना अधिकारी द्वारा देने से इंकार किया गया है।

अपील सुनवाई के दौरान सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। अतएव यह विदित होता है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो सूचना उपलब्ध करायी गई है वह तथ्यगत है। अतः अपीलार्थी का अपील कथन स्वीकार योग्य नहीं है। सुनवाई के दौरान तालिका (VI) के उल्लेखानुसार अपीलार्थी को विस्तार से प्रकरण के स्पष्टताः से अवगत कराया गया। जिससे अपीलार्थी द्वारा संतुष्टी व्यक्त की गई।

(4) जहॉ तक अपील का प्रश्न है तालिका (VI) के तर्कनुसार अपीलार्थी को वर्तमान में पॉवर कंपनीज में पदोन्नति प्रकिया हेतु प्रचलित नियम आदेश क्रमांक 01–05/पीडी–दो/215 दिनांक 19.03.2021 जिसके आधार पर पदोन्नति की जाती है कि प्रति उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत होगा।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी को पदोन्नति प्रकिया हेतु वर्तमान में प्रचलित नियम की प्रति 01 पृष्ठ में निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए, प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण तदनुसार दर्ज प्रथम अपील समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक – 0771– 2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर ।

(2) श्री एच.आर.नेताम, ग्राम व पो.– छाछानपैरी, तहसील– अभनपुर, जिला– रायपुर पिन– 493661 ।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर ।